न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—कैलाश चन्द मीना आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 11/2021

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

वेला पुत्र स्व0 सोना पुरोहित
निवासी—रामसीन, तह0 जसवन्तपुरा
जिला जालोर

1. लीला पुत्री स्व0 सोना
धर्मपत्नी स्व0 ताराजी पुरोहित
निवासी मोहबत नगर, तह0 व
जिला जालोर
2. नेनू पुत्री स्व0 सोना
धर्मपत्नी प्रतापजी पुरोहित
निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा
जिला जालोर
3. शारदा पुत्री स्व0 सोना
धर्मपत्नी भावाजी पुरोहित
निवासी मुडतरासीली, तह0 भीनमाल
जिला जालोर
4. सीता पुत्री स्व0 सोना
धर्मपत्नी भूराजी पुरोहित
निवासी वरडा, तह0 व जिला सिरोही
5. शान्ति पुत्री स्व0 सोना
धर्मपत्नी सवाजी पुरोहित,
निवासी पावटी, तह0 जसवंतपुरा,
जिला जालोर
6. कोकू पुत्री स्व0 सोना
धर्मपत्नी मादाजी पुरोहित
निवासी तवाब तह0 भीनमाल, जालोर
7. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार
भीनमाल, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जालोर दिनांक 16.07.2014 राजस्व अपील संख्या 02/2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा

उपस्थित—

1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट
2. श्री सांगाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 6
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 12/2021

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गणेश पुत्र वेलाजी पुरोहित निवासी–रामसीन, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर		1. लीला पुत्री सोना धर्मपत्नी स्व0 ताराजी पुरोहित निवासी मोहब्बत नगर, तह0 व जिला सिरोही 2. नेनू पुत्री सोना धर्मपत्नी प्रतापजी पुरोहित निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 3. शारदा पुत्री सोना धर्मपत्नी भावाजी पुरोहित निवासी मुड़तरासीली, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 4. सीता पुत्री सोना धर्मपत्नी भूराजी पुरोहित वरड़ा तह0 व जिला सिरोही 5. वेला पुत्र सोना निवासी रामसीन, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर 6. शांति पुत्री सोना धर्मपत्नी सवाजी पुरोहित निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 7. कोकू पुत्री सोना धर्मपत्नी मादाजी पुरोहित निवासी तवाब, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जसवन्तपुरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जसवन्तपुरा दिनांक 08.06.2017 नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 01/2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट
2. श्री सांगाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 4, व 6 से 7
3. श्री एल0आर0 पूनिया रेस्पो0 सं0 5 की ओर से (प्रकरण सं0 11/2021 में)
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 13/2021

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सीता पुत्री सोनाजी धर्मपत्नी भूराजी, निवासी वरडा जिला सिरोही 2. कोकू पुत्री सोनाजी धर्मपत्नी मादाजी निवासी तवाब त्ह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 3. शांति पुत्री सोनाजी धर्मपत्नी सवाजी पुरोहित निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर 4. नेनू पुत्री सोनाजी धर्मपत्नी प्रतापजी निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर 5. शारदा पुत्री सोनाजी धर्मपत्नी भावाजी निवासी मूडतरा, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर 6. लीला पुत्री सोनाजी धर्मपत्नी ताराजी निवासी मोहब्बतनगर, जिला सिरोही		1. वेलाराम पुत्र सोनाजी पुरोहित निवासी रामसीन, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर 2. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार रामसीन, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जालोर दिनांक 22.11.2017 राजस्व अपील संख्या 16/2017 अनवान गंगादेवी बनाम राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार रामसीन वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सांगाराम चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री एल0आर0 पूनिया रेस्पो0 सं0 1 की ओर से (प्रकरण सं0 11/2021 में)
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 14 / 2021

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गणेश पुत्र वेलाजी पुरोहित निवासी–रामसीन, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर		1. लीला पुत्री सोना धर्मपत्नी स्व0 ताराजी पुरोहित निवासी मोहब्बतनगर, तह0 व जिला सिरोही 2. नेनू पुत्री सोना धर्मपत्नी प्रतापजी पुरोहित निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 3. शारदा पुत्री सोना धर्मपत्नी भावाजी पुरोहित निवासी मुड़तरासीली, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 4. सीता पुत्री सोना धर्मपत्नी भूराजी पुरोहित वरड़ा तह0 व जिला सिरोही 5. वेला पुत्र सोना निवासी रामसीन, तह0 जसवन्तपुरा जिला जालोर 6. शांति पुत्री सोना धर्मपत्नी सवाजी पुरोहित निवासी पावटी, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 7. कोकू पुत्री सोना धर्मपत्नी मादाजी पुरोहित निवासी तवाब, तह0 जसवन्तपुरा, जिला जालोर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जसवन्तपुरा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जालोर दिनांक 16.07.2014 राजस्व अपील संख्या 02 / 2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट
2. श्री सांगाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 4, व 6 से 7
3. श्री एल0आर0 पूनिया रेस्पो0 सं0 5 की ओर से (प्रकरण सं0 11 / 2021 में)
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 21 .04.2023

उपरोक्त चारों अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान तथ्य होने से चारों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

प्रस्तुत अपील प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि जिला जालोर की तहसील भीनमाल स्थित ग्राम रामसीन के खसरा नम्बर 1211 रकबा 2.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 1772 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 1.71 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2705 रकबा 3.63 हैक्टर, कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.57 हैक्टर भूमि सोना पुत्र लिखमा कौम पुरोहित साकिन देह खातैदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खातेदार सोना दिनांक 11.6.98 को फौत हो जाने से इसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 565 वेला पुत्र सोना एवं मु0 गंगा बेवा सोना कौम पुरोहित सा0देह खातेदार के नाम तहसीलदार भीनमाल द्वारा समस्या समाधान शिविर, कैम्प रामसीन में दिनांक 27.08.1998 को स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध हस्तगत अपील संख्या 11/2021 एवं 14/2021 के रेस्पो0 सं0 1 से 4 (अपीलांट–लीला, नेनू, शारदा व सीता) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2014 प्रस्तुत हुई। जिसके विवेचन में विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा रेस्पो0 सं0 1 व 2–वेला पुत्र सोना व गंगा पत्नी सोना (हस्तगत अपील संख्या 11/2021 के अपीलांट्स) द्वारा वसीयतनामे के साथ बक्शीसनामा की फोटो प्रति पेश की गई। वसीयतनामा दिनांक 19.08.1995 के अवलोकन पर ''वसीयतकर्ता सोना द्वारा अपनी वसीयत में यह स्पष्ट किया कि जब तक मै जिन्दा हूँ जमीन व मकान पर अधिकार व उपयोग रहेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी स्त्री गंगा का अधिकार व कब्जा रहेगा। हम दोनो की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त खातेदारी जमीन व मकान पर मेरे पोता गणेशा वल्द वेला का अधिकार रहेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पोता मालिक तभी होगा जब मेरी स्त्री गंगा की मृत्यु हो जावे।'' अपीलाधीन नामान्तरकरण सोना पुत्र लिखमा की मृत्यु होने पर तहसीलदार भीनमान द्वारा पारित किया गया है। जिसमें सोना के समस्त वारिशान को जो कि जायज उत्तराधिकारी

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

थे, को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं वसीयत आदि के संबंध में नियमानुसार जांच किये बिना पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.07.2014 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 565 स्वीकृत दिनांक 27.8.1998 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार जसवन्तपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वसीयत एवं विधिक उत्तराधिकारियों यथा संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामान्तरकरण पारित करावे। जिला कलेक्टर जालोर के उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पो0–अपीलांट द्वारा उपरोक्त दो अपीले 11/2021 (गंगा पत्नी स्व0 सोना एवं वेला पुत्र स्व0 सोना) एवं 14/2021 (गंगा पत्नी स्व0 सोना एवं गणेश पुत्र वेला) न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। इनमे जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.7.14 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पैंशी तक स्थगित रखने का अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 24.09.2014 को पारित किया गया। इनमें गंगा के फौत हो जाने पर वकील अपीलांट द्वारा अपील संख्या 14/2021 में दिनांक 27.9.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का दिनांक 1.11.19 को स्वीकार कर अपीलांट सं0 1–गंगा का नाम डिलिट किया गया।

जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 की पालना में तहसीलदार जसतन्तपुरा द्वारा नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 01/2014 दिनांक 25.07.2014 को कायम किया गया। प्रकरण में बाद सुनवाई आदेशिका दिनांक 8.6.14 के अनुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार अभियान, केम्प रामसीन में अप्रार्थी–वेला पुत्र सोना एवं गंगा पत्नी सोना द्वारा दिनांक 7.10.14 को प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय के आगामी तारीख पेशी तक स्थगन की प्रति पेश करने के उपरांत रिमाण्ड ना0क0प्र0 में सुनवाई दिनांक 3.11.14, 28.11.14 व 13.1.15 को अनुपस्थित रहने व उसके बाद आज दिनांक तक किसी प्रकार की पैरोकारी या आगे की आदेशिका की प्रति या अन्य सबूत पेश करने में विफल व अनुपस्थित रहने से पत्रावली में उपलब्ध सबूतों के अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 08.06.2017 पारित कर दिया गया। जिसके अनुसार उल्लेखित खसरान की भूमि के खातेदार सोना पुत्र लिखमा के स्थान पर उनके विधिक वारिसान श्रीमति गंगा पत्नी स्व0

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

सोनाराम, वेलाराम, शांति, कोकू, लीला, नेनू, शारदा, सीता पि0 स्व0 सोनाराम कौम पुरोहित सा0 रामसीन के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का रामसीन को आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पा0–अपीलांट (गंगा पत्नी स्व0 सोना) द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील 12/2021 प्रस्तुत की गई। जिसमें गंगा के फौत हो जाने पर वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 27.9.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का दिनांक 1.11.19 को स्वीकार कर मूल खातेदार सोना पुत्र लिखमा द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 21.08.1995 के अनुसार गंगा के स्थान पर गणेश पुत्र वेलाजी को अपीलांट प्रतिस्थापित किया गया।

इसी प्रकार तहसीलदार जसवंन्तपुरा द्वारा उपरोक्त रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 01/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना में उप तहसीलदार रामसीन द्वारा पारित विरासत/फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 2560 स्वीकृत दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपीलांट–गंगा पत्नी स्व0 सोना द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 16/2017 प्रस्तुत की गई। जिसके विवेचन में विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा यह विवेचित किया गया कि, इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 02/2014 अनवान श्रीमती लीला वगैराह बनाम वेला वगैराह में निर्णय दिनांक 16.07.2014 के अन्तर्गत पारित आदेश, जो अपीलाधीन नामान्तरकरण पर अंकित है, के अनुसार नियमानुसार सोना के समस्त वारिशान को सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं वसीयत आदि के संबंध में कोई जांच किया जाना नही पाया जाता है। इस प्रकार इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 16.07.2014 की पूर्ण पालना नही की जाकर नामान्तरकरण पारित किया जाना पाया जाता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के पूर्व आदेश दिनांक 16.07.2014 की अपील माननीय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष 82/14 (14/2021) प्रस्तुत होने पर, उसमें पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 (24.09.2014) के अनुसार इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.07.2014 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया गया था। इसके पश्चात यह अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना भी अनुचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी एवं वाक्यिाती भूल की है। साथ ही डिविजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 172/2017 (12/2021) अनवान श्रीमती

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

गंगा बनाम लीला वगैराह में दिनांक 19.07.2017 के द्वारा तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण सं0 2560 दिनांक 08.06.2017 निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पो0–अपीलांट (सीता, कोकू, शांति, नेनू, शारदा व लीला पुत्रियां स्व0 सोनाजी) द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील संख्या 13/2013 प्रस्तुत की गई। इसमें गंगा के फौत हो जाने पर वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 2.11.21 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर रेस्पो0 सं0 1–गंगा के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक लिखा गया, अर्थात उक्त नाम डिलिट किया गया। तत्पश्चात रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 9.11.22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत मृतका गंगा के स्थान पर माफिक वसीयतनामा गणेश का नाम स्थापित करने हेतु'' के कम में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.12.22 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में आपत्ति व्यक्त करने से, रेस्पो0 अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई हस्तगत प्रकरणों में अपील सं0 11/2021 के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष पश्चातवर्ती समय में एक ओर अपील सं0 14/2021 दिनांक 15.09.2014 को प्रस्तुत की गई है, इसलिए पूर्व प्रस्तुत अपील सं0 11/2021 का कोई औचित्य नही होने इसे निरस्त/खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

अपीलांट (अपील संख्या 12/2021 एवं 14/2021) के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम रामसीन के ख0नं0 1211 रकबा 2.86 हैक्टर, ख0नं0 1772 रकबा 1.37 हैक्टर, ख0नं0 352 रकबा 1.71 हैक्टर एवं ख0नं0 2705 रकबा 3.63 हैक्टर, कुल खसरान 4 कुल रकबा 9.57 हैक्टर भूमि सोना पुत्र लिखमा कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार के नाम प्रथम सेटलमेंट में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खातेदार सोना वल्द लिखमा द्वारा अपने जीवनकाल में उल्लेखित आराजी व अपने

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

रहवासीय मकान का दिनांक 21.08.1995 को जरिये पंजिबद्ध वसीयतनामा अपनी पत्नी गंगा एवं उसकी मृत्यु के उपरांत अपने पोते गणेश वल्द वेलाजी के नाम निष्पादित किया गया। अपनी वसीयत में खातेदार सोना द्वारा यह स्पष्ट लिखा है कि जब तक मै जिन्दा हूँ उपरोक्त जमीन व मेरे मकान पर उपयोग मैं करूंगा और इन पर मेरा ही अधिकार होगा। मेरी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त खातेदारी जमीन पर व मकान पर मेरी स्त्री गंगा का अधिकार व कब्जा रहेगा। हम दोनो की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त खातेदारी जमीन पर व मेरे मकान पर मेरे पोता गणेशा वल्द वेलाजी पुरोहित साकिन रामसीन का अधिकार होगा, जब मेरी स्त्री गंगा की भी मृत्यु हो जाये। वसीयत की हुई जमीन पर किसी का कोई हक या दखल नही है। मेरी और मेरी औरत के मरने के बाद मेरा पोता गणेशा उपरोक्त जमीन बेच सकेगा, गिरवी रख सकेगा या निजी काम में उपयोग कर सकेगा।

खातेदार सोना की दिनांक 11.06.1998 को मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी का नामान्तरकरण स्व0 गंगा के नाम करवाया गया, जो माफिक वसीयत था, इसमे अपनी माता स्व0 गंगा के साथ स्वयं (वेला) का नाम दर्ज करवाया गया। पंजीबद्ध वसीयतनामे की प्रति जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष विचाराधीन प्रथम अपील संख्या 02/2014 में प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसे श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2014 में विवेचित किया गया है।

अपीलांट के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त वसीयतनामा रेस्पो0 की जानकारी में होने के बावजूद पहले तो नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करवाया गया तथा बाद में उसे अपील के जरिये निरस्त करवाया गया, अन्यथा वसीयत के आधार पर उपरोक्त जायदाद में केवल अपीलार्थीगण को ही अधिकार अर्जित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब पंजीकृत वसीयतनामा पेश हो चुका था, तो फिर अन्य वारिसान के बारे में जांच अथवा सुनवाई का कोई औचित्य नही है, बल्कि केवल वसीयतनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आदेश दिये जाने चाहिए थे। उक्त वसीयतनामे के आधार अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग का बेचान इकरार अन्य लोगो के पक्ष में किया गया, जिसमें स्वयं रेस्पो0 ने साख डाली थी। इस प्रकार उन्हें इस नामान्तरकरण सं0 565 एवं वसीयत के बारे में जानकारी होने के उपरांत उक्त तथ्य छुपाते

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

हुए अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 को निरस्त करने का आग्रह किया गया।

इसके अलावा वकील अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उल्लेखित आराजी के मूल खातेदार सोना वल्द लिखमा द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 21.08.1995 के अनुसार सोना के फौत होने पर विवादग्रस्त भूमि में गंगा पत्नी सोना को अधिकार अर्जित हुए एवं गंगा की मृत्यु पर इस भूमि के तमाम अधिकार प्रार्थी गणेशराम को स्वतः माफिक वसीयतनामा अर्जित हो गये है। जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 16.7.14 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी गई थी एवं उसमें दिनांक 24.09.2014 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिसकी नकल तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 01.04.2015 मुकरर्र की गई व आगे के दो साल तक कार्यवाही नही चली। इसके बावजूद रिमाण्ड ना0क0 प्रकरण संख्या 01/2014 में अकस्मात पत्रावली को केम्प कोर्ट रामसीन में ले जाकर दिनांक 08.06.2017 को अपीलांट को सुने बिना विधि विरूद्ध एवं मनमाना आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। जबकि जिला कलेक्टर महोदय ने भी अपने आदेश दिनांक 16.7.14 में वसीयत के बारे में पक्षकारों की सुनवाई का आदेश दिया था। इस प्रकार तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा विरासत संबंधी कानून का मनमाना अर्थ निकालते हुए स्थगन के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज व काश्त है, जबकि रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार व कब्जा नही है। इस कारण उनके नाम नामान्तरकरण का कोई आधार नही था। इस मामले में दोनो पक्षों की शहादत दर्ज किए बिना कोई आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता है, क्योकिं वसीयतनामें के बारे में शहादत पेश करने का अधिकार अपीलार्थी का था। इस प्रकार तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए पारित आदेश काबिले निरस्त होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2017 को निरस्त करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट (अपील संख्या 12/2021 एवं 14/2021) द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ जमांबदी संवत् 1989–2009, वसीयतनामा दिनांक 21.8.95

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

मय फार्म नं0 3 (प्रमाणित प्रति CO No. 42/21 CJ भीनमाल), आरआरडी जून, 2002 पेज नं. 289–81 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 4 एवं 6 व 7 (अपील संख्या 12/2021 एवं 14/2021) एवं अपीलांट (अपील संख्या 13/2021) के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पो0 (अपील संख्या 13/2021) एवं अपीलांट (अपील संख्या 12/2021 एवं 14/2021) ने न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपीले इस आधार पर प्रस्तुत की है कि मौजा रामसीन के पुराने खसरा नम्बर 274, 1410, 1277 व 560 थे व वक्त सेटलमेंट खसरा नम्बर 352, 1211, 1772 व 2705 उल्लेखित खसरान की भूमि वक्त सेटलमेंट उक्त आराजी सोना वल्द लिखमा के नाम दर्ज थी, जो कि सोना की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। सोना ने जरिये वसीयत उक्त आराजी रेस्पो0–अपीलांट–गंगा व गणेश के नाम दिनांक 21.05.1995 को निष्पादित की थी। इस वसीयत में अंतिम इच्छा थी कि सोना की मृत्यु के बाद उक्त आराजी रेस्पो0–अपीलांट–गंगा की रहेगी तथा उसकी मृत्यु के बाद उनके पोते गणेशा के नाम रहेगी। सोना की मृत्यु दिनांक 11.06.1998 के बाद रेस्पो0–अपीलांट–गंगा उक्त वसीयत पेश नही कर सकी। जिस पर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 565 दिनांक 27.06.1998 को गंगा व उसके पुत्र वेला के नाम दर्ज किया गया। रेस्पो0–अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष विचाराधीन अपील में प्रथम बार उक्त वसीयत को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा दिनांक 16.07.2014 को अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 565 स्वीकृत दिनांक 27.06.1998 को निरस्त करते हुए तहसीलदार भीनमाल को प्रकरण नियमानुसार वसीयत एवं विधिक उत्तराधिकारियों की सुनवाई कर नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0–अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपीले (अपील संख्या 11/2021 एवं 14/2021) विचाराधीन है। आरम्भ में उक्त अपील में स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसे मा0 न्यायालय द्वारा आगे नही बढाया गया। जिस पर तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा मृतक खातेदार सोना के सभी वारिसानों के नाम दिनांक 08.06.2017 को विरासत का नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में उप तहसीलदार रामसीन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2560 दिनांक 08.06.2017 स्वीकृत किया गया। उक्त

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

ना0क0 से व्यथित होकर रेस्पो0–अपीलांट ने जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपील संख्या 16/2017 प्रस्तुत की गई, जिसमें जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2017 के द्वारा अपीलाधीन ना0क0सं0 2560 दिनांक 08.06.2017 को निरस्त कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पो0 एवं अपीलांट (अपील संख्या 13/2021) के अधिकारों पर गौर तक नही किया गया। नामान्तकरण संख्या 2560 तहसीलदार जसवंतपुरा के आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना में पारित किया गया था। अतः जब तक तहसीलदार जसवंतपुरा के उक्त आदेश को निरस्त नही किया जाता है, तब तक उक्त ना0क0 निरस्त नही किया जा सकता है। रेस्पो0 एवं अपीलांट (अपील संख्या 13/2021) मृतक खातेदार सोना की जायन्दा वारिसान है तँथा विवादित आराजी पुश्तैनी व इनकी कब्जा व काश्तसुदा है तथा अपने पिता की आराजी में हक व अधिकार रखती है। सोनाजी की मृत्यु के बाद इनके हक में विवादित ना0क0 दर्ज करवाया जाना चाहिए था। जबकि उनकी माता गंगा व भाई वेलाजी ने ऐसा नही कर ना0क0सं0 565 अपने नाम दर्ज करवा दिया गया। इसके अलावा मृतक खातेदार सोनाजी को सम्पूर्ण आराजी की वसीयत करने का हक व अधिकार नही था। ना0क0सं0 565 पारित करवाते समय वसीयत का जिक्र तक नही किया गया और ना ही उक्त वसीयत व ना0क0 को लेकर उज्र एतराज किया गया, जो स्पष्टतया वसीयत पर प्रश्न उठाती है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त वसीयत उपरोक्त रेस्पो0–अपीलांट्स के अधिकारों पर कुठाराघात करने में Suspicious Circumstance तैयार की गई है, जिसके आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही किए जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश को प्रभावी माना है, जबकि स्थगन आदेश पारित तो किया गया था, लेकिन समय–समय पर इसे आगे नही बढाया गया, जिससे इसका प्रभाव समाप्त हो गया था। इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार जसतन्तपुरा द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 16.7.14 की पालना में ना0क0 पारित करने संबंधी आदेश दिनांक 8.6.17 पारित किया गया, जो आज भी कायम है। उपरोक्त रेस्पो0 सं0 1–अपीलांट ने तहसीलदार जसवंतपुरा के उक्त आदेश दिनांक 8.6.17 को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील (12/2021) प्रस्तुत की गई

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2017 को इसकी पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित करने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालयं को होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि मा0 न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट (अपील सं0 13/2021) स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 को निरस्त कर, ना0क0सं0 2560 स्वीकृत दिनांक 08.06.2017 को यथावत रखे जाने का आग्रह किया गया।

वकील रेस्पो0सं0 1 से 4 एवं 6 व 7 (अपील संख्या 12/2021 एवं 14/2021) एवं अपीलांट (अपील संख्या 13/2021) द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां व दिनांक 14.12.22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों (1 से 9) की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 16.7.14 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में राजस्व द्वितीय अपील सं0 11/2021 व 14/2021 प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 24.9.14 को अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया गया था, जिसे निरतंर नही किया गया है। अतः उक्त स्थिति में जिला कलेक्टर जालोर के उक्त आदेश दिनांक 16.7.14 की पालना में रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 01/2014 में तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 एवं इसकी पालना में उप तहसीलदार रामसीन द्वारा पारित ना0क0सं0 2560 स्वीकृत दिनांक 08.06.2017 विधिसम्मत है। चूंकि तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील सं0 12/2021 प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 19.07.2017 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया गया था, जिसे निरतंर नही किया गया है। अतः इसी मामले को लेकर श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील सं0 16/2017 जिसमें उप तहसीलदार रामसीन द्वारा दिनांक 08.06.2017 को स्वीकृत ना0क0 सं0 2560 को चुनौति दी गई थी, जिसे जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपने

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

निर्णय दिनांक 22.11.2017 द्वारा निरस्त करने में कानूनी भूल की गई है। अतः इस मामले में विधिअनुरूप निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

हमने उपरोक्त अपील प्रकरणों में दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा किए गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसके सारांशतः यह पाया जाता है कि :–

1. **हस्तगत अपील संख्या 11/2021** अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 विधिसम्मतः होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नही है।

   इसके अलावा विचाराधीन प्रकरण मे अपीलांट सं0 1 गंगा पत्नी स्व0 सोना फौत हो गई, इस बाबत वकील अपीलांट द्वारा विचाराधीन प्रकरण में कोई विधिक कार्यवाही नही की गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता के कथनानुसार इसके पश्चातवर्ती समय में न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 15.09.2014 को एक ओर अपील संख्या 14/2021 प्रस्तुत की गई है, इससे उनके द्वारा पूर्व प्रस्तुत उक्त अपील संख्या 11/2021 का कोई औचित्य नही होने से, इसे खारीज फरमाने का आग्रह किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उक्त अपील स्वीकार योग्य नही होने से तद्नुसार खारीज की जाती है।

2. **हस्तगत अपील संख्या 12/2021** जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 की पालना में तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 01/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश की पालना में उप तहसीलदार रामसीन द्वारा पारित ना0क0सं0 2560 दिनांक 08.06.2017 को जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 16/2017 में चुनौति दी गई थी, जिसे अधीनस्थ

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपने विवेचननुसार निर्णय दिनांक 22.11.2017 द्वारा निरस्त कर दिया है।

तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 01/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 कैम्प रामसीन में पारित किया गया था। तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार सोना के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध सीधे ही न्यायालय संभागीय आयुक्त को अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान उपलब्ध नही है, अपितु भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरूद्ध भू अभिलेख निदेशक (संभागीय आयुक्त) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

इसके अलावा उक्त प्रकरण में न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष पूर्व प्रस्तुत अपील सं0 02/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार जसवंतपुरा को रिमाण्ड किया गया था तथा जिला कलेक्टर जालोर के उक्त आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 11/2021 एवं 14/2021 प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 24.09.2014 को पारित अंतरिम स्थगन आदेशानुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 की पालना एवं प्रभाव को आगामी सुनवाई तिथी तक स्थगित किया गया था, जिसे निरंतर नही किया गया है एवं तथाकथित वसीयत भी माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उक्त अपील उक्त अपील स्वीकार योग्य नही होने से तद्नुसार खारीज की जाती है।

3. **हस्तगत अपील संख्या 13/2021** न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 16/2017 अनवान गंगा बनाम राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार रामसीन वगैरा (रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण में स्वीकृत ना0क0संख्या 2560 दिनांक 08.06.2017) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में गहन परीक्षणोपंरात जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है :–

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

I. उप तहसीलदार रामसीन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2560 दिनांक 08.06.2017 राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वारा केम्प रामसीन में भरा गया है।

II. प्रकरण में मृत्तक खातेदार सोना के समस्त वारिसान की जांच कर रेकर्ड पर लिया गया है।

III. अपीलाधीन आदेश में जिस वसीयत को आधार बनाया गया है, वह अभी भी माननीय सिविल न्यायालय में विवादित/विचाराधीन है, अतः जब वसीयत का निर्णय होगा, तो तद्नुसार उत्तराधिकार का फैसला होगा।

IV. फिलहाल मृत्तक खातेदार सोना के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने और उनके पक्ष में नामान्तरकरण खोलने में तहसील जसवंतपुरा/उप तहसीलदार रामसीन द्वारा कोई विधिक भूल नही की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 अपास्त किया जाता है तथा उप तहसीलदार रामसीन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 2560 दिनांक 08.06.2017 को यथावत बहाल रखा जाता है।

4. **हस्तगत अपील संख्या 14/2021** अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2014 अनवान लीला वगैरा बनाम वेला वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 विधिसम्मतः होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नही है। क्योकिं अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण सं0 565 दिनांक 27.08.1998 को स्वीकार करते समय इसमें वसीयत का उल्लेख नही है, मात्र मृत्तक खातेदार के वारिसान लिखा गया है। जबकि वारिसान तो ओर भी थे, इसमें लड़कियों को क्यो नही लिया गया ? इस स्थिति में जिला कलेक्टर जालोर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2014 द्वारा ना0क0सं0 565 दिनांक 27.08.1998 को निरस्त करते हुए, प्रकरण तहसीलदार

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जसवंतपुरा को नियमानुसार नामान्तरकरण पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उक्त अपील स्वीकार योग्य नही होने से तद्नुसार खारीज की जाती है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील संख्या 13/2021 स्वीकार योग्य पायी जाने से, तदनुसार स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 अपास्त किया जाता है तथा उप तहसीलदार रामसीन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 2560 दिनांक 08.06.2017 को यथावत बहाल रखा जाता है।

शेष अपील संख्या 11/2021, 12/2021 एवं 14/2021 स्वीकार योग्य नही पाये जाने से, तदनुसार खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21 अप्रेल, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

21/4/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर